अनुदान संख्या 54 - पुलिस
GRANT No. 54–POLICE

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
प्रभारित-	*Charged–*				
मूल	*Original*	*3,19,00*	*3,25,00*	*2,17,50*	*–1,07,50*
पूरक	*Supplementary*	*6,00*			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*84,19*
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	12735,49,00	13023,18,00	12905,36,17	–117,81,83
पूरक	Supplementary	287,69,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				72,47,33
पूंजीगत:	**Capital:**				
प्रभारित-	*Charged–*				
मूल	*Original*	*17,35,00*	*19,61,00*	*6,49,38*	*–13,11,62*
पूरक	*Supplementary*	*2,26,00*			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*10,51,93*
स्वीकृत-	Voted–		2124,57,00	1971,76,35	–152,80,65
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				113,47,93

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, कुल बचतें *(107.50 लाख रु.)* दिसंबर, 2005 में प्राप्त किए गए *6.00 लाख* रु. के पूरक *विनियोग* से अधिक हो गई और यह कुल स्वीकृत विनियेाग का 33 प्रतिशत थीं।

बचतें निम्नानुसार हुईं:-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, the overall savings *(Rs.107.50 lakhs)* exceeded the supplementary *appropriation* of *Rs.6.00 lakhs* obtained in December, 2005 and constituted 33 percent of the total sanctioned *appropriation.*

Savings occurred as under:-

(I) *26.20 लाख* रु. का *विनियोग* मुख्य शीर्ष ''2055''- ''पुलिस'' के अंतर्गत दो मामलों में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) *Appropriation* of *Rs.26.20 lakhs* remained wholly unutilised in two cases under Major Head "2055"- "Police".

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत *68.18 लाख* रु. की बचत हुई जो स्वीकृत *विनियोग* का 57 प्रतिशत थी।

(II) Under one head saving of *Rs.68.18 lakhs* occurred constituting 57 percent of the sanctioned *appropriation.*

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (11781.83 लाख रु.) दिसंबर, 2005 और मार्च, 2006 में प्राप्त किए गए 28769.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 41 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 1 प्रतिशत थीं।

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.11781.83 lakhs) constituted 41 percent of the supplementary grants of Rs.28769.00 lakhs obtained in December, 2005 and March, 2006 and 1 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''2055'' पुलिस	Major Head "2055" Police				
मू.	O.	1189349.00			
पू.	S.	28769.00	1202462.67	1197973.10	–4489.57
पु.	R.	–15655.33			
मुख्य शीर्ष ''3601'' राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	84200.00	92233.00	92188.07	–44.93
पु.	R.	8033.00			
मुख्य शीर्ष ''3602'' संघ राज्य क्षेत्रा की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments				
पु.	R.	375.00	375.00	375.00	. .

(I) मुख्य शीर्ष ''2055'' - ''राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड - स्थापना''- 12973.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 100.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 13073.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 154.59 लाख रु. (पूरक अनुदान सहित) की बचत फर्नीचर और वाटर कूलर, नए वाहनों, कंप्यूटरों और पेरिफेरलों की अधिप्राप्ति संबंधी प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने, रिक्त पदों के भरे न जाने और विदेशी दौरे कम किए जाने के कारण हुई।

(II) मुख्य शीर्ष ''2055'' के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(का) ''औद्योगिक सुरक्षा बल - निदेशन और प्रशासन''- 108424.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 1000.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 109424.00 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा विलंब की वजह से आईडब्ल्यूईएसएस और विएना टेस्ट प्रणाली, बुलेटप्रूफ जेकेटों और राइफलों के लिए पैसिव नाइट साइट की अधिप्राप्ति न किए जाने के कारण 304.18 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(खा) ''दिल्ली पुलिस - शिक्षा और प्रशिक्षण'' - 1361.40 लाख रु. के मूल प्रावधान को 100.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1461.40 लाख रु. कर दिया गया जो तथापि, मशीनरी और उपस्कर की अधिप्राप्ति संबंधी प्रस्तावों के प्राप्त न होने, रेलवे से कम दावे प्राप्त होने और मोटर वाहनों की कम मरम्मत/रख-रखाव के कारण 61.86 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(III) मुख्य शीर्ष ''2055'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत भी हुईं:-

(का) ''शिक्षा और प्रशिक्षण - राष्ट्रीय पुलिस अकादमी'' - 245.79 लाख रु. की बचत (1723.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विदेशी दौरों को अंतिम रूप न दिए जाने/देर से अंतिम रूप दिए जाने, बहिरंग प्रशिक्षण परिसर का निर्माण न किए जाने और बहिरंग प्रशिक्षण परिसर के लिए मशीनरी और उपस्कर की अधिप्राप्ति न किए जाने के कारण हुई।

(I) Under Major Head "2055" - "National Security Guard - Establishment" - the original provision of Rs.12973.00 lakhs was augmented to Rs.13073.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.100.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.154.59 lakhs (including supplementary grant) - due to non-finalisation of proposals for procurement of furniture and water cooler, new vehicles, computers and peripherals non-filling up of vacant posts and less foreign tours.

(II) Supplementary grant obtained under Major Head "2055" remained unutilised under the following heads to the extent as shown against each:-

(A) "Industrial Security Force – Direction and Administration" - the original provision of Rs.108424.00 lakhs was augmented to Rs.109424.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.1000.00 lakhs which however, remained unutilised to the extent of Rs.304.18 lakhs - due to non-procurement of IWESS and VIENA TEST system owing to delay by Directorate General of Supply and Disposal, Bullet Proof Jackets and passive nights sight for rifles.

(B) "Delhi Police - Education and Training" - the original provision of Rs.1361.40 lakhs was augmented to Rs.1461.40 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.100.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.61.86 lakhs - due to non-receipt of proposals for procurement of machinery and equipment, receipt of less claims from railway and less repairs/maintenance of motor vehicles.

(III) Under Major Head "2055" - savings also occurred under the following heads:-

(A) "Education and Training - National Police Academy"- saving of Rs.245.79 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1723.00 lakhs) was due to non/late finalisation of foreign tours, non-construction of outdoor training complex and non-procurement of machinery and equipment for outdoor training complex.

(खा) "अनुसंधान - पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो"- 137.79 लाख रु. की बचत (504.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, किफायती उपाय किए जाने और अनुसंधान प्रस्तावों के मूर्त रूप न ले पाने के कारण हुई।

(गा) "आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता"-

(क) "केंद्रीय न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला"- 165.18 लाख रु. की बचत (2217.00 लाख रु. स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, चिकित्सा दावे कम प्राप्त होने, किफायती उपाय किए जाने और पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा मशीनरी और उपस्करों की दर संविदा को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(ख) "आपत्तिजनक दस्तावेजों का सरकारी परीक्षक"- 108.46 लाख रु. की बचत (688.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के भरे न जाने, चिकित्सा दावे कम प्राप्त होने, किफायत के लिए कटौती लागू किए जाने और मशीनरी तथा उपस्करों की अधिप्राप्ति न किए जाने के कारण हुई।

(घा) "विशेष पुलिस"-

(क) "अनुसंधान"- 25201.63 लाख रु. की बचत (67400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ प्रशासनिक कारणों की वजह से नए कार्यालय द्वारा निधियों का उपयोग न किए जाने के कारण हुई।

(ख) "सीमा जांच चौकियां"- 291.29 लाख रु. की बचत (2000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एकीकरण जांच चौकियों पर खर्च की गई राशि की प्रतिपूर्ति के लिए सीमावर्ती राज्यों से प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ङ) "विशेष सेवा ब्यूरो - स्थापना"- 3555.41 लाख रु. की बचत (53292.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) 13 नई बनाई गई बटालियनों के पदों को भरे न जाने, पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा मोटर वाहनों,

(B) "Research - Bureau of Police Research and Development" - saving of Rs.137.79 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.504.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, economy measures and non-materialisation of research proposals.

(C) "Criminal Investigation and Vigilance" -

(a) "Central Forensic Science Laboratory" - saving of Rs.165.18 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2217.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less receipt of medical claims, economy measures and non-finalisation of rate contract of machinery and equipments by the Directorate General of Supply and Disposal.

(b) "Government Examiner of Questioned Documents" - saving of Rs.108.46 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.688.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less receipt of medical claims, economy cut and non-procurement of machinery and equipments.

(D) "Special Police" –

(a) "Research" - saving of Rs.25201.63 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.67400.00 lakhs) was due to non-utilisation of funds by new office owing to some administrative reasons.

(b) "Border Check Posts" - saving of Rs.291.29 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2000.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals from bordering states for reimbursement of amount incurred on integrated check posts at international border.

(E) "Special Service Bureau - Establishment"- saving of Rs.3555.41 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.53292.00 lakhs) was due to non-filling up of posts of 13 newly raised battalions, non-finalisation of rate contract for motor

वीएचएस सेटों और अन्य संचार उपस्करों के लिए दर संविदा को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

vehicles, VHS sets and other communications equipments by Directorate General of Supply and Disposal.

(चा) ''अन्य व्यय''-

(F) "Other Expenditure" -

(क) ''भारत-बंगलादेश सीमा निमार्ण कार्य'' - 578.53 लाख रु. की बचत (3632.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) ''भारत-पाक सीमा निर्माण कार्य'' - 1604.78 लाख रु. की बचत (5750.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(a) "Indo-Bangladesh Border Works" – saving of Rs.578.53 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3632.00 lakhs); and

(b) "Indo-Pak Border Works" - saving of Rs.1604.78 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 5750.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षो के अंतर्गत बचतें केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to slow progress of work by the Central Public Works Department.

(IV) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''योजनेतर अनुदान - पुलिस - अन्य अनुदानें'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षो के अंतर्गत हुईं:-

(IV) Under Major Head "3601" - "Non-Plan Grants - Police - Other Grants" - savings occurred under the following heads:-

(का) ''भारत रिजर्व बटालियनें''- 957.00 लाख रु. की बचत (1600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारत रिजर्व बटालियनें बनाने के लिए कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(A) "India Reserve Battalions" - saving of Rs.957.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1600.00 lakhs) was due to receipt of less claims for raising India Reserve Battalions.

(खा) ''राज्यों को विशेष सहायता''- 3521.04 लाख रु. की बचत (36600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के अंतर्गत प्रतिपूर्ति के कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(B) "Special Assistance to States" - saving of Rs.3521.04 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.36600.00 lakhs) was due to receipt of less claims for reimbursement under the scheme.

(V) एक शीर्ष के अंतर्गत 68.37 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 22 प्रतिशत थी।

(V) Under one head saving of Rs.68.37 lakhs occurred constituting 22 percent of the sanctioned provision.

3.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (1958.67 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष ''2055'' - ''केंद्रीय रिवर्ज पुलिस - स्थापना'' के अंतर्गत 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 2118.70 लाख रु. था।

3.(I) The above savings were partly (Rs.1958.67 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh under Major Head "2055" - "Central Reserve Police - Establishment". Actual excess, however, was Rs.2118.70 lakhs.

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईः-

(का) मुख्य शीर्ष "2055"-

(क) "असम राइफल - स्थापना" - 6555.66 लाख रु. का अधिक व्यय (2000.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 104013.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर में टुकड़ियों के लिए दैनिक भत्ते, विशेष ड्यूटी भत्ते, विशेष प्रतिपूरक भत्ते जैसे पूर्वोत्तर भत्ते की अदायगी किए जाने, वाहनों की संख्या और पेट्रोल, तेल और स्नेहकों के मूल्य में वृद्धि होने, लंबित देयताओं और एसईएलओ प्रणाली के कार्यान्वयन के कारण हुआ।

(ख) "दिल्ली पुलिस"-

(i) "निदेशन और प्रशासन" - 931.59 लाख रु. का अधिक व्यय (28349.37 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रा दिल्ली में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कार्मिकों की तैनाती के लिए राज्य पुलिस संगठनों से अधिक दावे प्राप्त होने के कारण हुआ।

(ii) "आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता" - 680.07 लाख रु. का अधिक व्यय (13222.16 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सम्पत्ति कर देयता का निपटान किए जाने, प्रशिक्षण सहायता सामग्री की अधिप्राप्ति किए जाने, विशिष्ट/अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा में इस्तेमाल की जाने वाली कारों के लिए किराया प्रभारों की अदायगी किए जाने, रिक्त पदों को भरे जाने और विधिक प्रभारों की प्रतिपूर्ति किए जाने के कारण हुआ।

(iii) "राज्य मुख्यालय पुलिस"- 1224.60 लाख रु. का अधिक व्यय (600.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 41594.10 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चिकित्सा प्रतिपूर्ति के अधिक दावे प्राप्त होने, शस्त्रा और गोला-बारूद की दरों में बढ़ोतरी होने, रिक्त पदों के भरे जाने, पेट्रोल, तेल और स्नेहकों, वाहनों के किराया प्रभारों की दरों में बढ़ोतरी होने, विभिन्न बाजारों में क्लोज सर्किट टीवी

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2055" -

(a) "Assam Rifles - Establishment" - excess of Rs.6555.66 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.104013.00 lakhs including supplementary grant of Rs.2000.00 lakhs) was due to payment of daily allowance, special duty allowance for troops at North East, NE allowances like special compensatory allowance, increase in number of vehicles and price of POL, pending liabilities and implementation of SELO system.

(b) "Delhi Police" -

(i) "Direction and Administration" - excess of Rs.931.59 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.28349.37 lakhs) was due to receipt of more claims from state police organisations for deployment of police personnel for maintaining law and order duties in the NCT of Delhi.

(ii) "Criminal Investigation and Vigilance" - excess of Rs.680.07 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.13222.16 lakhs) was due to clearance of property tax liability, procurement of training aids, payment of hiring charges for cars used for security of VIP/VVIP, filling up of vacant posts and reimbursement of legal charges.

(iii) "State Headquarters Police" - excess of Rs.1224.60 lakhs (against the total sanctioned provision of 41594.10 lakhs including supplementary grant of Rs.600.00 lakhs) was due to receipt of more claims for medical reimbursement, increase in rates of arms and ammunition, filling up of vacant posts, hike in rate of POL, hiring charges of vehicle, installation of Close Circuit TVs in various markets

लगाए जाने और टेलीफोन एवं विद्युत बिलों की अधिक देयताओं का निपटान किए जाने के कारण हुई।

(iv) ''जिला पुलिस''- 853.66 लाख रु. का अधिक व्यय (38576.71 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चिकित्सा प्रतिपूर्ति के अधिक दावे प्राप्त होने, रिक्त पदों के भरे जाने, पेट्रोल तेल और स्नेहकों की दर में वृद्धि होने, बकाया कार्यों के लिए पुलिस कार्मिकों को अधिक प्रोत्साहन की अदायगी किए जाने, मशीनरी और उपस्कर की खरीद संबंधी अधिक प्रस्ताव प्राप्त होने और टेलीफोन एवं विद्युत बिलों की देयताओं को पूरा किए जाने के कारण हुआ।

(ख) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''योजनेतर अनुदान - पुलिस - पुलिस का आधुनिकीकरण - राज्य पुलिस संगठनों का सुदृढ़ीकरण''- 12466.11 लाख रु. का अधिक व्यय (45000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मंत्रिमंडल द्वारा राज्यों की निधीयन पद्धति/श्रेणीकरण में परिवर्तन किए जाने के कारण हुआ जिसके परिणामस्वरूप उग्रवाद प्रभावित राज्यों के लिए केंद्रीय भाग अधिक हो गया।

(ग) मुख्य शीर्ष ''3602'' - ''योजनेतर अनुदान - पुलिस - अन्य अनुदान - भारत रिजर्व बटालियनें' - 375.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्रा की सरकारों की भारत रिजर्व बटालियनों की अदायगी और भत्तों पर होने वाले व्यय किए जाने के कारण हुआ।

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के *प्रभारित* अंश में, कुल बचतें (*1311.62 लाख रु.*) अगस्त, 2005 में प्राप्त किए गए *226.00 लाख* रु. के पूरक *विनियोग* से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत *विनियोग* का 67 प्रतिशत थीं।

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

and to clear more liabilities of telephones and electricity bills.

(iv) "District Police" - excess of Rs.853.66 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.38576.71 lakhs) was due to receipt of more claims for medical reimbursement, filling up of vacant posts, hike in rate of Petrol oil and lubricants, payment of more incentives to police personnel for outstanding jobs, more proposals for purchase of machinery and equipment and for meeting liabilities of telephone and electricity bills.

(B) Major Head "3601" - "Non-Plan Grants - Police - Modernisation of Police - Strengthening of State Police Organisations" - excess of Rs.12466.11 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.45000.00 lakhs) was due to change in the funding pattern/categorisation of states by the cabinet which resulted in more central share for states affected by extremism.

(C) Major Head "3602" - "Non-Plan Grants - Police - Other Grants - India Reserve Battalions"- excess of Rs.375.00 lakhs (against nil provision) was due to expenditure on payment and allowances of the India Reserve Battalions of Union Territories Governments.

4. In the *charged* portion of the capital section of the grant, the overall savings *(Rs.1311.62 lakhs)* exceeded the supplementary *appropriation* of *Rs.226.00 lakhs* obtained in August, 2005 and constituted 67 percent of the total sanctioned *appropriation.*

Savings occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head			कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4055" पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4055" Capital Outlay on Police					
मू.	*O.*	*135.00*				
पू.	*S.*	*226.00*		*266.07*	*6.38*	*–259.69*
पु.	*R.*	*–94.93*				
मुख्य शीर्ष "7601" *राज्य सरकारों को कर्ज तथा उधार*	Major Head "7601" *Loans and Advances to State Governments*					
मू.	*O.*	*1600.00*		*643.00*	*643.00*	. .
पु.	*R.*	*–957.00*				

(I) *326.00 लाख रु.* का *विनियोग* दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से *246.00 लाख रु.* (*226.00 लाख रु.* के पूरक *विनियोग* सहित) अकेले मुख्य शीर्ष "4055" - "अन्य व्यय - भारत-पाक सीमा निर्माण कार्य" के अंतर्गत प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) *Appropriation* of *Rs.326.00 lakhs* remained wholly unutilised under two heads; of these *Rs.246.00 lakhs* (including supplementary *appropriation* of *Rs.226.00 lakhs*) alone accounted for under Major Head "4055" - "Other Expenditure - Indo-Pak Border Works" - due to non-finalisation of proposals.

(II) मुख्य शीर्ष "7601" - *"योजनेतर स्कीमों के लिए कर्ज - पुलिस - अन्य कर्ज - भारत रिजर्व बटालियनें"*- के अंतर्गत *957.00 लाख रु.* की बचत (*1600.00 लाख रु.* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) भारत रिजर्व बटालियनें खड़ी करने के लिए राज्य सरकारों से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "7601" - *"Loans for Non - Plan Schemes-Police-Other Loans – India Reserve Battalions*"- saving of *Rs.957.00 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *Rs.1600.00 lakhs*) was due to receipt of less claims from State Governments for raising India Reserve Battalions.

5. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

5. In the voted portion of the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving– (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''4055'' पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4055" Capital Outlay on Police				
मू.	O.	209457.00	201109.07	197176.35	–3932.72
पु.	R.	–8347.93			
मुख्य शीर्ष ''4552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	3000.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–3000.00			

(I) 3520.00 लाख रु. का प्रावधान निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत चार मामलों में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष ''4055''-

(क) ''अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण - राष्ट्रीय अपराध विज्ञान और न्यायिक विज्ञान संस्थान''- 120.00 लाख रु. केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य निष्पादित न किए जाने के कारण थे।

(ख) ''अन्य व्यय''-

(i) ''भारत-चीन सीमा''- 200.00 लाख रु. सीमा सड़क संगठन को देर से निधियां जारी किए जाने के कारण थे।

(ii) ''भारत-म्यांमार सीमा निर्माण कार्य''- 200.00 लाख रु. केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य में धीमी प्रगति होने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष ''4552'' - ''अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजना/स्कीम''- 3000.00 लाख रु. निधियों का पुनर्विनियोग पूर्वोत्तर क्षेत्रा

(I) Provision of Rs.3520.00 lakhs remained wholly unutilised in four cases under the following major heads:-

(A) Major Head "4055" -

(a) "Research, Education and Training - National Institute of Criminology and Forensic Science" - Rs.120.00 lakhs - due to non-execution of work by the Central Public Works Department.

(b) "Other Expenditure" -

(i) "Indo-China Border" - Rs.200.00 lakhs - due to late release of funds to Border Road Organisation.

(ii) "Indo-Myanmar Border Works" - Rs.200.00 lakhs - due to slow progress of work by the Central Public Works Department.

(B) Major Head "4552" - "Other Expenditure-Project/Scheme for the benefits of North Eastern Region and Sikkim" - Rs.3000.00 lakhs - due to

और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण थे।

re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) मुख्य शीर्ष ''4055'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः-

(II) Under Major Head "4055" - savings occurred under the following heads:-

(का) ''असम राइफल्स''-

(A) "Assam Rifles" -

(क) ''कार्यालय भवन''- 460.86 लाख रु. की बचत (6000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(a) "Office Buildings" - saving of Rs.460.86 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6000.00 lakhs) was due to slow progress of work by the Central Public Works Department.

(ख) ''सीमा चौकियां''- 500.45 लाख रु. की बचत (1500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सीमा चौकियों के निर्माण के लिए प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(b) "Border Outposts" - saving of Rs.500.45 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1500.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals for construction of Border Outposts.

(खा) ''सीमा सुरक्षा बल''-

(B) "Border Security Force" -

(क) ''सीमा सुरक्षा बल महानिदेशालय''- 6721.96 लाख रु. की बचत (30857.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भूमि अधिग्रहण के प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य में धीमी प्रगति होने और ब्राजील से विमानों की खरीद के लिए कम अदायगी किए जाने के कारण हुई।

(a) "Directorate General of Border Security Force" – saving of Rs.6721.96 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.30857.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals for acquisition of land, slow progress of work by the Central Public Works Department and less payment for purchase of air craft from Brazil.

(ख) ''भारत-तिब्बत सीमा पुलिस''- 1196.43 लाख रु. की बचत (6600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(b) "Indo-Tibetan Border Police" - saving of Rs.1196.43 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6600.00 lakhs) was due to slow progress of work by the Central Public Works Department.

(गा) ''अन्य व्यय''-

(C) "Other Expenditure" -

(क) ''समन्वय निदेशालय (पुलिस बेतार)''- 493.59 लाख रु. की बचत (610.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) क्वार्टरों के निर्माण के लिए देर से अनुमोदन प्रदान किए जाने की वजह से केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निधियों का उपयोग न किए जाने के कारण हुई।

(a) "Directorate of Coordination (Police Wireless)" - saving of Rs.493.59 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.610.00 lakhs) was due to non-utilisation of funds by the Central Public Works Department owing to late approval for construction of quarters.

(ख) ''केंद्रीय न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला''- 100.52 लाख रु. की बचत (210.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा शुरू किए गए कार्य में धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(ग) ''अन्य सीमा प्रबंधन''- 7696.43 लाख रु. की बचत (9000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम को अंतिम रूप न दिए जाने और पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा मशीनरी की अधिप्राप्ति संबंधी दर संविदा को अंतिम रूप देने में विलंब होने के कारण हुआ।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 80.34 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 16 प्रतिशत थी।

6.(I) उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष ''4055'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) ''असम राइफल्स - रिहायशी भवन''- 3325.46 लाख रु. का अधिक व्यय (11000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्रा के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''4552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(खा) ''विशेष सेवा ब्यूरो - सीमा चौकी '' - 465.18 लाख रु. का अधिक व्यय (4500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सीमा चौकियों के निर्माण के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(गा) ''अन्य व्यय''-

(क) ''भारत-बंगलादेश सीमा निर्माण कार्य''- 913.67 लाख रु. का अधिक व्यय (63665.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बाड़ लगाने और सड़क निर्माण कार्य के लिए कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(b) "Central Forensic Science Laboratory"- saving of Rs.100.52 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.210.00 lakhs) was due to slow progress of work undertaken by the Central Public Works Department.

(c) "Management of other Border" - saving of Rs.7696.43 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.9000.00 lakhs) was due to non-finalisation of scheme and delayed finalisation of rate contract for procurement of machinery by the Directorate General of Supply and Disposal.

(III) Under one head saving of Rs.80.34 lakhs occurred constituting 16 percent of the sanctioned provision.

6.(I) The above savings were partly offset by excess under Major Head "4055" - under the following heads :-

(A) "Assam Rifles - Residential Buildings" - excess of Rs.3325.46 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.11000.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "4552" to functional heads for utilisation on projects/ schemes for the benefit of North Eastern Region.

(B) "Special Service Bureau - Border Outposts" - excess of Rs.465.18 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4500.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for construction of Border Outposts.

(C) "Other Expenditure" -

(a) "Indo-Bangladesh Border Works" - excess of Rs.913.67 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.63665.00 lakhs) was due to requirement of additional funds by the executing agencies for fencing and road construction works.

(ख) ''भारत-पाक सीमा निर्माण कार्य''- 621.52 लाख रु. का अधिक व्यय (23785.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) गुजरात सेक्टर में बाड़ लगाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने और उन स्थानों को अंतिम रूप न दिए जाने जहां सीमा चौकियों का निर्माण किया जाना अपेक्षित था, के कारण हुआ।

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत 80.49 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 16 प्रतिशत था।

(b) "Indo-Pak Border Works" - excess of Rs.621.52 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.23785.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for fencing in Gujarat sector and non-finalisation of places where outpost towers were required to be constructed.

(II) Under one head excess of Rs.80.49 lakhs occurred constituting 16 percent of the sanctioned provision.